

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2 (एफ0सी0ए0/उवस/2022-23/4464)

दिनांक : 07-06-2024

निमित्त

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय: — Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District BUNDI
From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-1) District Bundi Proposil No.
FP/RJ WATER/154215/2022

प्रसंग - भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र
दिनांक 23.04.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र दिनांक 23.04.2024 से Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District BUNDI From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-1) District Bundi (Online Proposil No. FP/RJ/WATER/154215/2022) प्रकरण में दो बिन्दुओं के संबंध में आक्षेप जारी किया गया है। जिनका निम्न निवेदन है-

1. प्रस्तावित परियोजना के बदले प्राप्त गैर वन भूमि पूर्व में चाकण परियोजना के बदले प्राप्त गैर वन भूमि में समायोजित की गई है। ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की भूमि खसरा संख्या 1346 रकबा 7.31 है0 में से रकबा 4.9975 है0 को प्रस्तावित किया गया है। जो पूर्व से वन भूमि दर्ज है एवं वनखण्ड कोटाखुर्द बी 108.61 है0 (संलग्न विज्ञप्ति) दिनांक 21.06.2012 को रक्षित वन घोषित है।
2. वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस का प्रस्ताव परिवेश-2 की साइट पर प्रस्ताव संख्या WL/RJ/DRK WATER/438857/2023 से प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित किया हुआ है, जो वर्तमान में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के स्तर पर विचाराधीन है।

भवदीय

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णिया)
उप वन संरक्षक
बून्दी

RajKaj Ref
7854733



Signature valid

Digitally signed by Virendra Singh
Krishnia
Designation : Deputy Conservator Of
Forest

Date: 2024.06.07 11:59:04 IST

Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या :- 57

दिनांक 16/03/2023

आदेश

अधिशायी अभियंता, जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग परियोजना, बून्दी के पत्र क्रमांक:अ.अ./परि /ख.बून्दी/2022-23/1816-18 दिनांक 21.02.2023 से जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत हिण्डोली - नैनवां पेयजल परियोजना जिला बून्दी(घम्बल-भीलवाडा फेज प्रथम से) के अन्तर्गत पाईप लाईन डालने हेतु आ रही रकबा 4.9975 हैक्टेयर वन भूमि को प्रत्यावर्तन (Diversion) हेतु समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटन/हस्तान्तरित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक(कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी के पत्र क्रमांक/एफ/एफसीए/उवसं, R.V.T.R./ 1311 दिनांक 13.3.2023 से ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ में आवंटित गैर-वनभूमि कुल रकबा 108.00 हैक्टेयर में से 4.9975 हैक्टेयर गैर-वनभूमि हेतु समायोजन किये जाने की सहमति व्यक्त की गई है।

अतः शासन उप सचिव, राजस्व(ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर की रद कृति पत्र क्रमांक:प-6 (315)राज/ग्रुप-3/97 दिनांक 7.06.1999 से आवंटित ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ की 289.53 हैक्टेयर भूमि में से उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक(कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी की सहमति के आधार पर उक्तानुसार 4.9975 हैक्टेयर भूमि समायोजन की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ० रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, बून्दी
दिनांक 16/03/2023

क्रमांक - प.8-5(1)राजस्व/2023/3986-96
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, राजस्व(ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. उप वन संरक्षक/ उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक(कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली/ नैनवां/ लाखेरी
4. तहसीलदार हिण्डोली/ नैनवां/ इन्द्रगढ
5. अधिशायी अभियंता, जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग परियोजना, बून्दी
6. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

राजस्थान सरकार

वन विभाग

विज्ञापित

संख्या ५२(१)१०/२०१२

दिनांक २१.०६.२०१२

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उसपर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या (13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञापित संख्या प.2 (21) वन/2006 दिनांक 11 अगस्त 2006 के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबंध पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जोकि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

Devi
(श्री. ए. ए. लालाबायी)
शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टिया वन खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		वि.वि.
				खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे०)	
बून्दी	इन्द्रगढ़	कोटा खुर्द "बी"	कोटा खुर्द	812	6.66	परिशिष्ट अ,ब,स संलग्न है
				829	4.93	
				837	4.63	
				841	7.40	
				842	15.72	
				843	15.77	
				852	3.62	
				858	4.31	
				859	11.07	
				860	10.59	
				861	1.92	
				862	5.45	
				876	9.23	
				1346	7.31	
		(श्री. ए. ए. लालाबायी) शासन सचिव	14	108.61	हेक्टे.	

वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

वन बन्वोर्द्धन अधिकारी
कोटा



**जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)**

प्रग्व पी-26 (सी)
(रेखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कोटाखुर्द
पटवार हल्का :- गुहाटा
भू.अभि.नि. :- लबान
तहसील :- इन्द्रगढ़
जिला :- बूंदी

अंतिम चौसाला आधार संवत् :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 343
खाता संख्या पुराना :- 323

काश्तकार का नाम:-

1. महकमा जंगलान हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1019	4.1400	गे.मु.झरडा	4.1400			
1022	0.0500	गे.मु.झरडा	0.0500			
1027	0.1200	गे.मु.झरडा	0.1200			
1081	2.7100	गे.मु.झरडा	2.7100			
1108	3.3900	गे.मु.झरडा	3.3900			
1110	3.1000	गे.मु.झरडा	3.1000			
1111	1.7700	गे.मु.झरडा	1.7700			
1112	1.5800	गे.मु.झरडा	1.5800			
1113	11.8000	गे.मु.झरडा	11.8000			
1114	5.5700	गे.मु.झरडा	5.5700			
1116	1.2100	गे.मु.झरडा	1.2100			
1119	1.2800	गे.मु.झरडा	1.2800			
1123	4.0400	गे.मु.झरडा	4.0400			
1125	5.5000	गे.मु.झरडा	5.5000			
1126	4.0900	गे.मु.झरडा	4.0900			
1131	2.3700	गे.मु.झरडा	2.3700			
1139	3.4800	गे.मु.झरडा	3.4800			
1141	4.5200	गे.मु.झरडा	4.5200			
1150	3.2800	गे.मु.झरडा	3.2800			
1151	1.8000	गे.मु.झरडा	1.8000			
1159	2.6200	गे.मु.झरडा	2.6200			
1160	3.7100	गे.मु.झरडा	3.7100			
1162	7.3400	गे.मु.झरडा	7.3400			
1163	0.8500	गे.मु.झरडा	0.8500			
1170	5.8500	गे.मु.झरडा	5.8500			
1175	2.9200	गे.मु.झरडा	2.9200			
1190	0.9700	गे.मु.झरडा	0.9700			
1199	0.5100	गे.मु.झरडा	0.5100			
1200	3.2900	गे.मु.झरडा	3.2900			
1212	0.1400	गे.मु.झरडा	0.1400			
1214	1.1900	गे.मु.झरडा	1.1900			
1216	1.5600	गे.मु.झरडा	1.5600			
1217	1.9100	गे.मु.झरडा	1.9100			
1228	0.5500	गे.मु.झरडा	0.5500			
1232	0.4200	गे.मु.झरडा	0.4200			
1234	0.3000	गे.मु.झरडा	0.3000			
1241	0.6500	गे.मु.झरडा	0.6500			
1243	0.7700	गे.मु.झरडा	0.7700			
1246	16.7200	गे.मु.झरडा	16.7200			
1272	5.2900	गे.मु.झरडा	5.2900			
1274	3.1200	गे.मु.झरडा	3.1200			
1275	9.4600	गे.मु.झरडा	9.4600			
1283	0.4800	गे.मु.झरडा	0.4800			
1284	1.2300	गे.मु.झरडा	1.2300			
1287	3.5900	गे.मु.झरडा	3.5900			
1293	2.2200	गे.मु.झरडा	2.2200			
1294	1.1500	गे.मु.झरडा	1.1500			
1296	0.2400	गे.मु.झरडा	0.2400			
1297	3.7600	गे.मु.झरडा	3.7600			
1301	0.0700	गे.मु.झरडा	0.0700			
1313	0.1500	गे.मु.झरडा	0.1500			
1314	0.3800	गे.मु.झरडा	0.3800			



जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कोटाखुर्द
पटवार हल्का :- गुहाटा
भू.अभि.नि. :- नवान
तहसील :- इन्द्रगढ़
जिला :- बुंदी

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 343
खाता संख्या पुराना :- 323

1321	1.1500	गे.मु.झरडा	1.1500
1326	1.3100	गे.मु.झरडा	1.3100
1327	0.4900	गे.मु.झरडा	0.4900
1331	0.1300	गे.मु.झरडा	0.1300
1332	0.1300	गे.मु.झरडा	0.1300
1333	0.0800	गे.मु.झरडा	0.0800
1334	0.0800	गे.मु.झरडा	0.0800
1335	0.0800	गे.मु.झरडा	0.0800
1336	0.1100	गे.मु.झरडा	0.1100
1337	0.0800	गे.मु.झरडा	0.0800
1338	0.0800	गे.मु.झरडा	0.0800
1339	0.0900	गे.मु.झरडा	0.0900
1342	0.3300	गे.मु.झरडा	0.3300
1344	5.5800	गे.मु.झरडा	5.5800
1346	7.3100	गे.मु.दरडा	7.3100
1347	4.6900	गे.मु.झरडा	4.6900
1348	1.9200	गे.मु.झरडा	1.9200
1349	0.8100	गे.मु.झरडा	0.8100
1350	0.2800	गे.मु.झरडा	0.2800
1351	2.6100	गे.मु.झरडा	2.6100
1352	4.8800	गे.मु.झरडा	4.8800
812	6.6600	गे.मु.दरडा	6.6600
829/1	4.9300	गे.मु.दरडा	4.9300
837	4.6300	गे.मु.दरडा	4.6300
841	7.4000	गे.मु.दरडा	7.4000
842	15.7200	गे.मु.दरडा	15.7200
843	15.7700	गे.मु.दरडा	15.7700
852	3.6200	गे.मु.दरडा	3.6200
858	4.3100	गे.मु.दरडा	4.3100
859	11.0700	गे.मु.दरडा	11.0700
860	10.5900	गे.मु.दरडा	10.5900
861	1.9200	गे.मु.दरडा	1.9200
862	5.4500	गे.मु.दरडा	5.4500
876	9.2300	गे.मु.दरडा	9.2300
877	5.1600	गे.मु.झरडा	5.1600
881	1.1500	गे.मु.झरडा	1.1500
882	0.9100	गे.मु.झरडा	0.9100
974	24.0000	गे.मु.झरडा	24.0000
975	0.9300	गे.मु.झरडा	0.9300
977	0.2700	गे.मु.झरडा	0.2700

कुल खसरे - 92 315.1500 315.1500

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 7-Jun-2024

NIC



Additional Functionalities Help

Back to dashboard

Search Proposal...

Processed Proposal History (Total - 5)

S.No.	Submission Date	Proposal No.	Project Category	Project Name	Division	App. form/CAF Area (Ha)	Status	Pendency	Action
1	15/06/2023	WL/RJ/IRRG/425782/2023	Irrigation	Construction of canal (LMC&RMC) for gararda medium irrigation project, Bundi Erection of 33 kv line from barundhan to laxmipura for construction of 33/11 kv sub station laxmipura , 33 kv line to be erected from 33/11 kv sub station barundhan to laxmipura	BUNDI TERRITORIAL DIVISION WL	86.878	Pending at Proponent	332 Days	View
2	26/06/2023	WL/RJ/TRANS/432964/2023	Power Transmission line / Telecommunication Line	400 KV RAPP (D)-KOTA-JAIPUR (SOUTH) Transmission line due to infringement in the land of proposed new Greenfield Kota Airport	BUNDI TERRITORIAL DIVISION WL	10.275	Pending at Proponent	312 Days	View
3	24/06/2023	WL/RJ/IRANS/429646/2023	Power Transmission Line / Telecommunication Line	Construction of canal (LMC&RMC) for gararda medium irrigation project, Bundi	BUNDI TERRITORIAL DIVISION WL	69.299	Pending at Chief Wildlife Warden	50 Days	View
4	17/07/2023	WL/RJ/IRRG/436540/2023	Irrigation	Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-1) District - Bundi(Rajasthan)	BUNDI TERRITORIAL DIVISION WL	43.439	Pending at Chief Wildlife Warden	50 Days	View
5	02/08/2023	WL/RJ/DRKWATER/438857/2023	Drinking Water		RAMGARH VISHDHARI TIGER RESERVE (CORE)	49.1127	Pending at Chief Wildlife Warden	14 Days	View

Items per page 10 1 - 5 of 5



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE



क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar
(Sub-Regional Office, Jalpur)

ए-विंग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10A, गांधीनगर-382010 / A wing- 407 &
409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010
Email: iro.gandhinagr-mefcc@gov.in

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

दिनांक: 23rd अप्रैल, 2024

(ऑनलाइन क्रमांक FP/RJ/WATER/154215/2022)

विषय: Diversion of 4.9975 ha of Reserved and Protected Forest land for Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan) In favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Rajasthan.

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(58)वन/2023 दिनांक 01.03.2024.
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 10.08.2023 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

अनुपालन प्रतिवेदन के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये:

1. As per condition no. A:2 of Stage-I approval, the non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.
2. In the compliance of condition No. B:8 of Stage-I approval, a Copy of Wildlife Clearance shall be submitted.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड कराये ताकि अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।


(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)
क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Officer (RO)

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, यूडी वनमण्डल, बूंदी, राजस्थान।